



राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फ़ैक्स : 2552363, 2760561

क्र/राशिके/शिप्रशि./2018/ 2906

भोपाल दिनांक 10/5/18

प्रति

प्राचार्य डाईट
समस्त जिले म0प्र0

जिला परियोजना समन्वयक
समस्त संबंधित जिले म0प्र0

मा0फेसिलिटेटर
निर्देश क्रमांक—10

विषय— चयनित एसआरजी(मास्टर फेसिलिटेटर) की प्रशिक्षण तिथियों में संशोधन उपरांत 21.5.2018 से 26.5.2018 में चयनित एसआरजी तथा डाईट के संबंधित विषय के विशेषज्ञों को प्रशिक्षण में उपस्थित कराने विषयक।

संदर्भ— क्र/राशिके/शिप्रशि./2018/2693 भोपाल, दिनांक 4.5.18

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि मेरिट आधार पर चयनित प्राथमिक/माध्यमिक स्तर के गणित एवं हिन्दी विषय के मास्टर फेसिलिटेटर (एसआरजी) की सूची संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गई थी। सूची अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का 6 दिवसीय प्रशिक्षण राज्य स्तर पर दिनांक 14.5.2018 से 19.5.2018 तक आईकफ आश्रम ,शाहपुरा झील के पास कैम्पीयन स्कूल परिसर में रखा गया था। डाईट में पदस्थ गणित तथा हिन्दी विषय के एक-एक विशेषज्ञ को प्रशिक्षण में एसआरजी के रूप में सम्मिलित करने के कारण उक्त तिथियों में आवश्यक संशोधन किया गया है। चयनित मास्टर फेसिलिटेटर(एसआरजी) तथा डाईट में पदस्थ गणित एवं हिन्दी विषय के फेकल्टी सदस्यों का 6 दिवसीय प्रशिक्षण संशोधित तिथि 21.5.2018 से 26.5.2018 में पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण स्थल आश्रम ,शाहपुरा झील के पास कैम्पीयन स्कूल परिसर में रखा गया है। प्रतिभागियों को एक दिवस पूर्व सांयकाल उपस्थित कराना सुनिश्चित करें।

डाईट में पदस्थ हिन्दी एवं गणित विषय के एक-एक सदस्य को उक्त प्रशिक्षण में सहभागिता करना अनिवार्य है। जिन जिलों में डाईट नहीं हैं वहां से संबंधित विषय के एपीसी अथवा बीएसी को प्रशिक्षण में सहभागिता हेतु मुक्त करें। डाईट प्राचार्य अपने जिले की प्रशिक्षण योजना जिसमें माध्यमिक शाला के शिक्षकों का 6 दिवसीय प्रशिक्षण डाईट में तथा विकासखण्ड स्तर पर प्राथमिक शालाओं के गणित एवं हिन्दी विषय के शिक्षकों की योजना डाईट फेकल्टी के सदस्यों के हस्ते प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शालाओं के एकल शिक्षकीय शालाओं के शिक्षकों का प्रशिक्षण जिले स्तर पर अन्य 2 प्रशिक्षण स्थल में 1 जून से प्रस्तावित करते हुये योजना साथ में लेकर आये, तथा ई-मेल के माध्यम से प्रशिक्षण कक्ष को प्रेषित करें। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

(ओ0प्र0मण्डलोई)
अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

प्रतिलिपि-

- 1-प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3-आयुक्त आदिवासी विकास विभाग म0प्र0शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4-कलेक्टर, समस्त संबंधित जिले म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त संबंधित जिले म0प्र0
- 6-सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला शिक्षा अधिकारी समस्त संबंधित जिले म0प्र0
- 7-जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 8-नियंत्रक पाठ्यक्रम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 9-प्रभारी साथ टीम की ओर लेख है कि विशेषज्ञों की उपस्थिति नियंत्रक प्रशिक्षण से संपर्क कर सुनिश्चित करें।
- 10-प्राचार्य संबंधित एसआरजी के संस्था प्रमुख की ओर लेख है कि संबंधित को प्रशिक्षण हेतु मुक्त करें।
- 11-समस्त अभ्यर्थियों की ओर लेख है कि एक दिवस पूर्व सांयकाल प्रशिक्षण स्थल में अनिवार्यतः उपस्थित हों।
- 12-मे0शिवशक्ति केंटर्स भोपाल की ओर लेख है कि आईकफ आश्रम में 5 एसी हाल तथा 65 चयनित अभ्यर्थी एवं 102 डाईट के प्रतिभागियों कुल 167 अभ्यर्थियों के भोजन आवास आवास स्थल में कूलर आदि की व्यवस्था तथा टंडा आरओ का पानी एवं हाल में एलसीडी प्रोजेक्टर व्हाईट बोर्ड मार्कर माईक आदि की व्यवस्था तथा दिन का भोजन चाय नास्ता 20 विशेषज्ञों तथा 5 व्यवस्थापकों हेतु स्वीकृत दरों पर सुनिश्चित करें।
- 13- श्री वैभव श्रीवास्तव की ओर लेख है कि एजूकेशन पोर्टल पर पत्र सहित मेरिट सूची अपलोड करें

अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
10/5/18